(145)

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R. 529.I/05

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००५ निगरानी

श्री एस० के० अग्रवाल एडवोकेट द्वारा आज दि० 23/4/05 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
23 APR 2005

दलप्रताप दुबे पुत्र स्व० श्री जुग्गाराम दुबे
निवासी ग्राम खजुरी, तहसील सिंगरोली
जिला सीधी, म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

राजेश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम दुबे,
निवासी ग्राम खजुरी, तहसील सिंगरोली,
जिला सीधी, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महोदय रीवा संभाग, रीवा दिनांक २५-०८-२००४ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक २६३/२००३-२००४ निगरानी

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूपएवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश प्रार्थी को बिना सुने तथा बिना नोटिस के एवम् अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख बुलाये बिना पारित किया गया है जो न केवल कानूनन अपितु प्राकृतिक न्याया सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

(४) यहकि आयुक्त महोदय ने धारा ५० म० प्र० भू राजस्व संहिता के परन्तुक ३ पर कोई विचार नहीं किया जिससे ...

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 529–एक / 05 जिला –सीधी

क्रमांक दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्ष का
24.8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित होकर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 226/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 25.8.04 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक दलप्रताप दुबे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण को आवेदक द्वारा वापिस लिया गया बाद में पुनः धारा–32 के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को बिना आवेदक की सुनवाई के प्रचलित करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध अनावेदक राजेश कुमार द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित ठहराते हुये निगरानी निरस्त की।	

3– अभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया।

4– आवेदक द्वारा धारा 32 के आवेदन पर सुना नहीं गया है। अपर आयुक्त को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण करें। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य